

भारत का राजपत्र
The Gazette of India



असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 241] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 17, 1978/श्रावण 26, 1900
No. 241] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 17, 1978/SRAVANA 26, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के
रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अगस्त 1978

सा०का०नि० 417 (अ).--विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का 46) की धारा 13 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की दिनांक 25 अगस्त, 1948 की अधिसूचना संख्या 12(11) एफ1/48 में आर्थिक संशोधन करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा यह आदेश देती है कि भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) के अन्तर्गत गठित भारतीय स्टेट बैंक वाणिज्य, नागरिक पूंति और सहकारिता मंत्रालय की दिनांक 17 अगस्त, 1978 की सार्वजनिक सूचना संख्या 59 आई०टी०सी०(पी०एन०)/78 में भारत सरकार द्वारा अधिसूचित "स्वर्ण आभूषण निर्यात प्रतिपूर्ति योजना" के प्रयोजनों के लिए भारत में कितने ही सोने का आयात कर सकता है।

[सं० 5/5/78-सी० आई०टी०(1)]

रा० ना० महोदय, अपर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th August, 1978

G.S.R. 417(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13 of the Foreign Exchange Regulation Act, 1973 (46 of 1973) and in partial modification of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance No. 12(11)-F. 1/48, dated the 25th August, 1948, the Central Government hereby orders that the State Bank of India, constituted under the State Bank of India Act, 1955 (23 of 1955), may import into India any gold for the purposes of the Gold Jewellery Export Replenishment Scheme, notified by the Government of India in the Ministry of Commerce, Civil Supplies, and Co-operation in the Public Notice No. 59-ITC(PN)/78 dated the 17th August, 1978.

[No. 5/5/78-CIE(I)]

R. N. MALHOTRA, Addl. Secy.